उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

शिकायत संख्या : 15767 / 18(1)(F)

अपील अंतर्गत धारा 18(1)(F) सू.का अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

शिकायतकर्ता : श्री ब्रजभूषण, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–01, कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल।

बनाम

प्रत्युत्तरदाता :
1. लोक सूचना अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार, जिला हरिद्वार।
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार, जिला हरिद्वार।
3. कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपिः–
1. सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महानिदेशक कृषि, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

आदेशः

आज सुनवाई के समय– शिकायतकर्ता उपस्थित हुये। लोक सूचना अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री रमाकान्त त्रिपाठी, विभागीय अपीलीय अधिकारी / मुख्य कृषि अधिकारी श्री गोपाल सिंह भण्डारी, लोक सूचना अधिकारी / कृषि निदेशालय डा0 बबीता भट्ट, श्री आनन्द मणी बलोदी, लेखाकार कृषि निदेशालय तथा आयोग के निर्देश के क्रम में श्री के0सी0 पाठक कृषि निदेशक उपस्थित हुए।

2. आयोग द्वारा गत दिनांक 24.09.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गएः–

प्रस्तर 4 सुनवाई के दौरान उपस्थित लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि श्री ब्रज भूषण के वर्ष 2010–11 के आई०पी०एम० के बिल रू0 14880.00 भुगतान हेतु कार्यालय पत्र 1026 दिनांक 09.09.2024 के माध्यम से धनराशि की मांग की

SH

गयी थी किन्तु कृषि निदेशालय से बजट आवंटन नहीं होने के कारण उक्त बिल का भुगतान नहीं हो पा रहा है। लोक सूचना अधिकारी/कृषि निदेशालय के प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि उक्त भुगतान हेतु अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश हेतु पत्रावली कृषि निदेशालय में गतिमान है। लोक सूचना अधिकारी/ कृषि निदेशालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त गतिमान पत्रावली पर समुचित कार्यवाही कर कृत अनुपालन से अपीलकर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रस्तर–5 लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार, जिला हरिद्वार के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशालय द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में अपीलार्थी के उक्त बिलों का भुगतान कर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार, जिला हरिद्वार अपीलार्थी के प्रकरण पर समुचित कार्यवाही कर कृत अनुपालन से अपीलकर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

3. आयोग द्वारा गत सुनवाई दिनांक 07/10/2024 को की गयी थी। उक्त तिथि को पारित आदेश का प्रस्तर 3 लगायत 6 निम्नानुसार हैः–

प्रस्तर 3. गत दिनांक 24.09.2024 को पारित आदेश के प्रस्तर–4 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या 3719 दिनांक 04.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया कि आयोग के निर्देश के क्रम में निदेशालय के पत्रांक 3554 दिनांक 26.09.2024 से मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार को श्री ब्रजभूषण, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के वर्ष 2010–11 के आई0पी0एम0 योजना में फार्मर फील्ड स्कूल से संबंधित दिनांक 19.03.2011 के बिल रू0 14,880.00 का भुगतान नियमानुसार जिला योजना/जिले में संचालित योजनाओं में उपलब्ध बजट से करने के निर्देश दिए गए। शिकायतकर्ता द्वारा अपने लिखित अभिकथन पत्र दिनांकित 07.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया कि आयोग के निर्देश के उपरान्त भी आतिथि तक रू0 14,880/– का भुगतान नहीं किया गया है।

प्रस्तर 4. गत दिनांक 24.09.2024 को पारित आदेश के प्रस्तर–5 व निदेशालय के पत्रांक 3554 दिनांक 26.09.2024 के अनुपालन में

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

SH

मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार द्वारा अपने पत्रांक 1224 दिनांक 04.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया कि **उक्त बिलों के नियमानुसार भुगतान हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1216 दिनांक 03.10.2024 के द्वारा कृषि निदेशक महोदय उत्तराखण्ड देहरादून को सम्प्रेक्षा स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं। सम्प्रेक्षा स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।**

प्रस्तर 5. यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत शिकायत में आयोग के निर्देशों का कृषि निदेशालय एवं मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण कृषि विभाग में गैर जिम्मेदार एवं संवेदनहीन कार्य संस्कृति का उदाहरण है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं खेदजनक है कि **जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी एक छोटे से विषय पर अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न करते हुए लम्बित किये हुए हैं। प्रश्नगत प्रकरण मात्र रू0 14,880 रूपये के भुगतान का है, यह भुगतान यदि नहीं हो सकता है तो जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता को यह स्पष्ट क्यों नहीं किया जाता एवं यदि भुगतान हो सकता है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ भुगतान कर प्रकरण निस्तारित क्यों नहीं कर दिया जाता? क्या जिम्मेदारों को इसका अंदाजा है कि अनिर्णय की इस स्थिति का विभाग को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। सुनवाई में उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में शपथ पत्र के माध्यम से कारण उल्लेखित करते हुए स्पष्ट करें कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधी भुगतान नहीं किया जा सकता है।**

प्रस्तर 6. सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रश्नगत शिकायत पर समाधान हेतु एक अंतिम अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। **वर्णित स्थिति मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार को सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत इस आशय का नोटिस दिया जाता है कि प्रश्नगत शिकायत में आयोग के निर्देशों की अवमानना एवं शिकायतकर्ता को प्रश्नगत प्रकरण में हुई क्षति पर क्यों नहीं मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार पर क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाये। आगामी सुनवाई पर मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार आयोग के समक्ष इस संबंध में व्यक्तिगत उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।**

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

4. आयोग द्वारा गत दिनांक 21.10.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गए:–

SH

प्रस्तर 5. सुनवाई के दौरान निदेशक कृषि के पत्र दिनांक 19.10.2024 से स्पष्ट हुआ कि निदेशक कृषि द्वारा दिनांक 19.10.2022 को कतिपय बिन्दुओं पर आख्या स्पष्ट करते हुए अवगत कराये जाने हेतु मूल देयक संलग्नकों सहित मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को वापस प्रेषित किये गए थे। जिसके प्रत्युत्तर में **मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार द्वारा दो वर्ष बाद दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को उक्त बिलों का भुगतान किये जाने हेतु निदेशालय की स्वीकृति चाही गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार द्वारा अपील संख्या 34493 में आयोग के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।**

प्रस्तर 6. प्रस्तुत शिकायत में पूर्व निर्देशों के क्रम में कृषि निदेशालय से प्राप्त निदेशक की आख्या में प्रश्नगत प्रकरण में अलग–अलग कथन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार द्वारा प्रकरण को कृषि निदेशालय पर टाल रहा है जबकि कृषि निदेशालय द्वारा पूर्व में मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को जिला योजना से भुगतान करने के लिये कहा गया एवं अब इस संबंध में भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन से स्वीकृति /अनुमति का कथन किया जा रहा है। **कृषि निदेशक के पत्र से स्पष्ट है कि कृषि निदेशालय प्रश्नगत प्रकरण के समाधान हेतु गंभीर नहीं है। मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार के कथन एवं वर्णित स्थिति में निदेशक कृषि श्री के0सी0 पाठक को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पक्षकार बनाते हुए निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई पर आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।**

प्रस्तर 7. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया **शिकायतकर्ता का कथन है कि मा0 आयोग द्वारा कई बार मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार को निर्देशित किया गया है कि संबंधित प्रकरण निस्तारित कर दिया जाये परन्तु कृषि विभाग निरन्तर आदेशों की अवहेलना कर रहा है। उक्त प्रकरण सूचना अधिकार में 2020–21 से प्रचलन में है। जिसमें निरन्तर उनका उत्पीड़न हो रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त प्रकरण में मानसिक एवं आर्थिक क्षति पर मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार सेएक लाख रू0 की क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का अनुरोध किया है।**

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

SH

प्रस्तर 8. सुनवाई में मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार उपस्थित नहीं हैं जबकि पूर्व सुनवाई में उन्हें व्यक्तिगत उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी की सुनवाई में उपस्थिति हेतु 28.10.2024 की तिथि निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया। लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए **प्रस्तुत शिकायत में दिनांक 28.10.2024 की तिथि निर्धारित करते हुए मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को निर्देर्शित किया जाता है कि आगामी सुनवाई पर वह व्यक्तिगत उपस्थित होकर स्पष्ट करेंगे कि क्यों नहीं शिकायतकर्ता की मांग के अनुसार प्रस्तुत शिकायत में लोक प्राधिकारी पर क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाये।**

5. आयोग द्वारा दिये गए निर्देश के क्रम में निदेशक कृषि श्री के0 सी0 पाठक द्वारा निम्नवत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गयाः–

मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार द्वारा कार्यालय पत्रांक–1116 दिनांक 06.10.2022 से निदेशालय के दण्डादेश संख्याः–4271 दिनांक 08.11.2019 के परिपाल में तीन वर्ष उपरान्त श्री ब्रजभूषण, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के वर्ष 2010–11 के मैक्रोमोड योजना के अन्तर्गत आई०पी०एम० प्रशिक्षण के दिनांक 19.03.2011 धनराशि ₹14880.00 के कालातीत बिल बजट मांग करते हुये पूर्व सम्प्रेक्षा स्वीकृति हेतु निदेशालय में प्रस्तुत किये गये। तद्क्रम में निदेशालय के पत्रांक–4551 दिनांक 19.10.2022 से प्रकरण पर कतिपय बिन्दुओं पर आख्या स्पष्ट करने हेतु मूल देयक समस्त संलग्नकों सहित मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार को वापस प्रेषित किये गये। निदेशालय के उक्त पत्र का प्रत्युत्तर आपके द्वारा कार्यालय पत्रांक–1216 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 से दो वर्ष उपरान्त निदेशालय को उपलब्ध कराते हुये उक्त योजना से सम्बंधित कलातीत बिल ₹14880.00 का भुगत्तान वर्तमान में संचालित आतमा योजना में उपलब्ध बजट के सापेक्ष पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किये जाने हेतु पूर्व संप्रेक्षा (Preaudit) स्वीकृति हेतु पुनः प्रस्तुत किये गये है। प्रकरण पर निदेशालय स्तर से किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ है। निदेशालय के पत्रांकः–4097 दिनांक 24.10.2024 से प्रकरण पर विलम्ब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार को निर्देश प्रदान किये गये है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

SH

चुंकि वर्तमान में मैक्रोमोड योजना, जिसमें आई०पी०एम० प्रशिक्षण भी सम्मिलित है, विभाग में संचालित नहीं है। इसलिए निदेशालय से वर्तमान में संचालित अन्य केन्द्रपोषित/राज्यपोषित योजना से मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार के विभिन्न कार्यालय पत्रों से श्री ब्रजभूषण, स०कृ०अ० वर्ग–1 के आई०पी०एम० प्रशिक्षण के बिलों के भुगतान हेतु की जा रही बजट मांग धनराशि ₹14880.00 की पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

6. **सुनवाई में उपस्थित मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार द्वारा लिखित अभिकथन के माध्यम से अवगत कराया गया कि सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के आई0पी0एम0 रू0 14880/–(चौदह हजार आठ सौ अस्सी रूपये) के लंबित बिल का भुगतान कर दिया गया है।** मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा भुगतान के संबंध में की गयी कार्यवाही के प्रमाण अपने कथन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत प्रमाण के अनुसार मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु दिनांक 24.10.2024 को बिल बैंक को भेजा गया है। अपीलार्थी का कथन है कि आतिथि तक उनके खाते में भुगतान की राशि नहीं आयी है। उपस्थित मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि बैंक के माध्यम से भुगतान में थोड़ा समय लगता है। मुख्य कृषि अधिकारी के कथन एवं प्रस्तुत प्रमाण पर शिकायतकर्ता द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

7. **प्रस्तुत प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री ब्रजभूषण द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय से वर्ष 2010–11 में उनके आई. पी. एम. कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय के लम्बित रू0 14880/–(चौदह हजार आठ सौ अस्सी रूपये) के भुगतान के संबंध में दिनांक 22.06.2021 को सूचना चाही गयी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्हें यह भुगतान व्यय के फर्जी बिलों का आरोप लगाते हुए नहीं किया गया था। लेकिन वर्ष 2019 में विभागीय जांच के उपरांत उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया था। वर्ष 2019 से लगातार उनके द्वारा लम्बित बिलों के भुगतान हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वर्ष 2021 में दिनांक 22/06/2021 में उनके द्वारा सूचना अधिकार के अंतर्गत इस संबंध में मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय से सूचना चाही गयी लेकिन इस संबंध में उन्हें कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार द्वारा सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर दिनांक 23.09.2021 को राज्य सूचना आयोग में इस संबंध में द्वितीय अपील की गयी। आयोग द्वारा अपील संख्या 34493 का दिनांक 06/01/2023 को निस्तारित करते हुए मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार को आवेदक को लम्बित रू0 14880/–(चौदह हजार आठ सौ अस्सी रूपये) का भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे। आयोग के निर्देश के क्रम में मुख्य कृषि अधिकारी**

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु कार्यवाही तो शुरू की गयी लेकिन अपीलार्थी को भुगतान नहीं किया गया। विभाग के स्तर पर भुगतान हेतु हीलाहवाली की जाती रही। आयोग के निर्देश का साल भर से अधिक समय व्यतीत होने पर भी अनुपालन नहीं किये जाने पर शिकायतकर्ता द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की धारा (18) के अंतर्गत दिनांक 04/04/2024 को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गयी।

8. प्रस्तुत शिकायत पर योजित सुनवाईयों में विभाग द्वारा प्रस्तुत कथनों एवं कृत कार्यवाही के परीक्षण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आयोग के निर्देशों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार द्वारा स्वीकृति के नाम पर प्रकरण कृषि निदेशालाय को अग्रसारित कर दिया गया और कृषि निदेशालय द्वारा इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। **शिकायत में पक्षकार बनाये गये कृषि निदेशालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अलग–अलग कथन प्रस्तुत किये जाने से स्पष्ट है कि निदेशालय द्वारा अपनी भूमिका का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन नहीं किया गया। निदेशालय की भूमिका विभागीय कार्यों में मार्गदर्शन देने एवं उचित समाधान देने की होनी चाहिए लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में निदेशालय की भूमिका गैरजिम्मेदाराना प्रतीत होती है। यह आश्चर्यजनक है कि विभाग द्वारा पांच साल से मात्र रू0 14880/–(चौदह हजार आठ सौ अस्सी रूपये) के भुगतान को लम्बित रखा गया एवं आयोग के निर्णय के उपरांत भी जिले से लेकर निदेशालय तक अनिर्णय की स्थिति बनायी गयी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रकाश में आये तथ्यों से कृषि विभाग की कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़ा होता है प्रस्तुत शिकायत पर सुनवाई में मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता को भुगतान कर दिया गया है। प्रश्न यह उठता है कि जो भुगतान मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा आयोग में धारा (18) के अंतर्गत सुनवाई के दौरान किया गया वह पहले ही वर्ष 2019 में अथवा उसके उपरांत आयोग के निर्णय के क्रम में 2023 में क्यों नहीं किया गया? मात्र रू0 14880/–(चौदह हजार आठ सौ अस्सी रूपये) के वैध भुगतान के लिए पांच वर्ष तक विभाग, विभागीय कर्मियों, शिकायतकर्ता एवं आयोग के समय, साधन एवं श्रम व्यर्थ क्यों किया गया?**

9. शिकायतकर्ता का कथन है कि अपने ही विभाग में अपने मात्र रू0 14880/–(चौदह हजार आठ सौ अस्सी रूपये) के वैध भुगतान के लिये उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा है। सूचना का अधिकार नहीं होता तो यह संभव नहीं था फिर भी उन्हें इसके लिए लंबे समय तक जूझना पड़ा इसमें उन्हें मानसिक आर्थिक एवं सामाजिक क्षति पहुंची है। **आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में लोक प्राधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता की क्षतिपूर्ति की मांग के संबंध में किसी**

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून सत्यमेव जयते

SH

प्रकार का कोई लिखित स्पष्टीकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि लोक प्राधिकारी को आयोग द्वारा निर्गत क्षतिपूर्ति के नोटिस के संबंध में कुछ नहीं कहना है। वर्णित स्थिति में लोक प्राधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय, हरिद्वार पर रूपये 10,000/– (दस हजार रूपये) की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। लोक प्राधिकारी / मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 1 माह के भीतर उपरोक्त अधिरोपित क्षतिपूर्ति की धनराशि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराते हुए कृत अनुपालन से आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये। प्रस्तुत प्रकरण में कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा हुआ है अतः आदेश की प्रति कृषि सचिव उत्तराखण्ड शासन एवं महानिदेशक कृषि को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि वह प्रश्नगत प्रकरण का संज्ञान लेते हुए विभागीय कार्यप्रणाली को पारदर्शी, व्यवस्थित तथा जवाबदेह बनाने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

10. प्रस्तुत शिकायत में अग्रेतर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है अतः शिकायतकर्ता के प्रकरण का निराकरण के आधार पर शिकायत निस्तारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित की जाय।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(योगेश भट्ट)
राज्य सूचना आयुक्त
28.10.2024

SH